

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 596]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021 — अग्रहायण 5, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अगस्त 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2021/29-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की स्थापना करती है, जिसे जिला आयोग के नाम से जाना जाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियुक्त जिला आयोग के अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य, उक्त अधिनियम की धारा 31 में उपबंधित किये अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे।

No. F -5-5/ 2021/ 29-2 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government, hereby, establishes the District Consumer Disputes Redressal Commission to be known as the District Commission.

The President and every other member of the District Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019) shall continue to hold office as the President and Member of the District Commission as provided in Section 31 of the said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.